दिनांक 18.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 22/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस जंक्शन

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः17.06.2024 की रात्रि थाना हाथरस जंक्शन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टमाटर रोड के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन पर हत्या, आबकारी एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी धौरपुर थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना करीमुद्दीनपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉक:17.06.2024 की रात्रि थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पूर्वांचल अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सूरज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 20 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजीपुर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना करीमुद्दीन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज निवासी नगवा थाना लंका, वाराणसी।

बरामदगी

1–20 हजार रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गोण्डा/थाना को0नगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार**
- **02 टैबलेट, 10 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.06.2024 की रात्रि थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 06 अभियुक्तों 1–संदीप कुमार 2–चांद बाबू 3–नियाज 4–उस्मान 5–इरफान 6–विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार, 02 टैबलेट, 10 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त उस्मान के विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त नियाज के विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त चांद बाबू के विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना को0नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप कुमार निवासी डोकरी सलेमपुर थाना बौंडी जनपद बहराइच।

2–चांद बाबू निवासी नौरई थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

3–नियाज निवासी गंगवारा थाना देवा जनपद बाराबंकी।

4–उस्मान निवासी बेगमपुर थाना रामगांव जनपद बहराइच।

5–इरफान निवासी कस्तूरी थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

6–विशाल निवासी डोकरी सलेमपुर थाना बौडी जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार।

2–02 टैबलेट, 10 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना को0अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना को0अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संतोषी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

—————